वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर–222003

पत्रांक 202 / ज0सू0 / 2023
दिनांक 02 / 08 / 2023

कार्यालय ज्ञाप

एतद्द्वारा सर्वसम्बन्धित को सूचित किया जाता है कि श्री अजय कुमार उप्रेती, मा0 सूचना आयुक्त, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा दितीय अपील संख्या– एस–6–2176 / ए / 2023 A-255084 श्री दीपक शुक्ला बनाम / VERSUS जनसूचनाधिकारी कार्यालय ,सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय ,वाराणसी में दिनांक 17.07.2023 को निम्नवत् आदेश पारित किया गया है:–

"......................................अतः आवेदक श्री दीपक शुक्ला द्वारा आयोग व पीठासीन अधिकारी व उनके अधीनस्थ कार्मिक के विरूद्ध लगातार अनर्गल आरोप व अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग करने, आयोग के कार्यो में अनावश्यक बाधा उत्पन्न करने तथा आयोग परिसर में ही जनसूचनाधिकारी के साथ मार –पीट करने के कम में **श्री दीपक शुक्ला,145सी / 1,चांदपुर सलोरी ,पोस्ट–तेलियरगंज,जनपद प्रयागराज को उ0प्र0 सूचना आयोग में अयोग्य घोषित किया जाता है।**

साथ ही विश्वविद्यालयों के समस्त जनसूचनाधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वह अपने कार्यालय / वेबसाइट पर उक्त आदेश को प्रदर्शित कराया जाना सुनिश्चित करें।"

मा0 आयुक्त के उपर्युक्त आदेश के अनुपालन में उक्त आदेश दिनांक 17.07.2023 विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.vbspu.ac.in पर प्रदर्शित किया जाता है।

जनसूचना अधिकारी

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. वित्त अधिकारी जी।
2. कुलसचिव जी।
3. परीक्षा नियंत्रक ।
4. समस्त संकायाध्यक्ष / विभागाध्यक्ष।
5. उपकुलसचिव / समस्त सहायक कुलसचिव।
6. निजी सचिव कुलपति, कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
7. समस्त प्रशासनिक अधिकारी / प्रभारी।
8. प्रभारी वेबमास्टर, विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

02/8/23
जनसूचना अधिकारी

Uttar Pradesh Information Commission
7/7A, RTI Bhawan, Vibhuti khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010
द्वितीय अपील संख्या– एस–6–2176 / ए / 2023 A-255084

श्री दीपक शुक्ला

बनाम / VERSUS ....अपीलकर्ता / Appellant

जनसूचनाधिकारी, कार्यालय, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी।

प्रभारी (RTI)
कृ० पत्रावली पर
प्रस्तुत
करें वार्ता।
31/7/23

.............प्रतिवादीगण / Respondent

समक्षः पीठासीन अधिकारी–श्री अजय कुमार उप्रेती, मा0 राज्य सूचना आयुक्त ।

आदेश
(17.07.2023)

वाद पुकारा गया, पत्रावली प्रस्तुत हुई। अपीलकर्ता श्री दीपक शुक्ला उपस्थित हुए। विपक्षी जनसूचनाधिकारी की ओर से श्री राजेश चतुर्वेदी, अधिवक्ता उपस्थित हुए।

विपक्षी द्वारा बताया गया कि अपीलकर्ता को उसके मूल आवेदन पत्र के कम में वांछित सूचनाएं उपलब्ध करायी जा चुकी है। अपीलकर्ता द्वारा आयोग को मौखिक रूप से बताया गया कि वांछित सूचनाएं अपूर्ण हैं।

प्रस्तुत प्रकरण की सुनवाई के उपरान्त अपीलकर्ता श्री दीपक शुक्ला द्वारा लगातार धमकाने वाले / अमर्यादित / अशोभनीय टिप्पणी पीठासीन अधिकारी व स्टाफ के विरूद्ध किये जा रहे हैं। उनके आचरण से स्पष्ट है कि उनके द्वारा पीठासीन अधिकारी एवं आयोग के निर्णयों को अपने पक्ष में कराने हेतु जानबूझकर ऐसा कृत्य किया जा रहा है।

आयोग के संज्ञान में यह भी आया है कि श्री दीपक शुक्ला द्वारा आयोग के समक्ष उ0प्र0 के कई विश्वविद्यालयों के जनसूचनाधिकारीयों के विरूद्ध लगभग 300 से अधिक द्वितीय अपीलें / शिकायत योजित की गयी है।

एक अन्य प्रकरण में जो कि इसी सुनवाई कक्ष में योजित था, प्रकाश में आया है कि अपीलकर्ता द्वारा अपील संख्या–एस–6 / 263 / सी / 2023 में सुनवाई के उपरान्त जनसूचनाधिकारी श्री अमृत लाल, सहायक कुल सचिव, वीर बहादुर सिंह, पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर पर सुनवाई कक्ष के बाहर हमला तथा मारपीट किया गया। जिसके कम में श्री अमृल लाल द्वारा श्री दीपक शुक्ला के विरूद्ध थाना विभूति खण्ड, गोमती नगर में एक एफ0आई0आर0 भी दर्ज कराया गया है और उक्त संदर्भ में मा0 मुख्य सूचना आयुक्त व पीठासीन अधिकारी को भी पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है। जनसूचना अधिकारियों द्वारा इसी संदर्भ में अवगत कराया गया है कि श्री

दीपक शुक्ला द्वारा सूचना मांगने के पश्चात् अमर्यादित आचरण व जनसूचनाधिकारी पर भी दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है।

इसी क्रम में अपीलकर्ता श्री दीपक शुक्ला द्वारा लगातार (social sites) पर आयोग/पीठासीन अधिकारी/आयोग के कार्मिकों के विरूद्ध आधारहीन, अशोभनीय, अमर्यादित एवं धमकाने वाले पोस्ट किये जा रहे हैं। ताकि आयोग पर दबाव बनाकर अपने आरटीआई प्रार्थना पत्रों पर अपने पक्ष में निर्णय कराया जा सके। उनके आचरण से यह स्पष्ट है कि उनके द्वारा पीठासीन अधिकारी/आयोग के निर्णयों को बाधित करने का प्रयास किया जाता है।

आयोग द्वारा समस्त प्रकरणों में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 व उ0प्र0 सूचना का अधिकार नियमावली 2015 के प्राविधानों के तहत अपीलकर्ता को जनसूचनाधिकारियों के कार्यालय से नियमानुसार सूचनाएं भी उपलब्ध करायी जाती रहीं हैं। किन्तु अपीलकर्ता द्वारा सोशल साइट्स पर आयोग व आयोग के कार्मिक के लिये अमर्यादित/अशोभनीय एवं धमकाने वाली टिप्पणी लगातार की जा रही है। उनके द्वारा सोशल साइट्स पर की गयी टिप्पणी इतनी अमर्यादित व अशोभनीय है कि उक्त टिप्पणियों को आदेश में जिक्र नहीं किया जा सकता है। अपीलकर्ता के द्वारा प्रस्तुत द्वितीय अपीलों/शिकायतों का निस्तारण इनके पक्ष में न होने से अपीलकर्ता उग्र हो जाते हैं एवं विकृत, निराधार टिप्पणीयों एवं धमकाने पर उतारू हो जाते हैं। अपीलकर्ता डा0 दीपक शुक्ला द्वारा निरन्तर आयुक्त व उनके स्टाफ के व्हाट्सप पर भी कई बार संदेश भेजकर अभद्रता की जा रही है।

इस क्रम में आयोग का मत है कि:–

Appellant is a cantankerous litigant. He has been behaving in an highly unreasonable manner. He does not show any inclination to listen to reason.

He is continuously creating trouble for the commission and its staff. Commission finds in his hands RTI will become a tool of intimidation and oppression. Commission records severe condemnation of his behaviour and recommends disciplinary action against him. Commission directs the PIOs (Public Information Officers) to seek remedies under civil and criminal law for his behaviour.

As per Madras high court in P. Jayasankar Vs Chief Secretary to Government of Tamil Nadu and Gunaseelan, I.P.S. W.P. Nos. 3776 and 3778 of 2013, this abusive applicant deserves to be disqualified. मा0 उच्च न्यायालय मद्रास के उक्त निर्णय के आलोक में आयोग का भी यही मत है............

........The Commission records its admonition for the applicant for derogatory remarks against Commission/Commissioner/Staff and impeding the decisions of the Commission. The behaviour of this applicant is absolutely undesirable. Urgent action is needed to stop his unbridled behaviour. So that the commission could give its

decision freely without any pressure. He should be disqualified for seeking information under the RTI act from Public Authorities.

अपीलकर्ता के द्वारा आयोग व जनसूचनाधिकारियों के विरूद्ध किये गये अमर्यादित व्यवहार से श्री दीपक शुक्ला अयोग्य घोषित किये जाने योग्य है। श्री दीपक शुक्ला द्वारा आयोग के कार्य और प्रकरणों के निस्तारण में अनावश्यक आपत्ति और टिप्पणी से बाधा उत्पन्न किया जा रहा है। उनके व्यवहार से प्रथम दृष्टया यह परिलक्षित होता है कि उनके द्वारा कहा गया तथ्य और आवेदन किया गया पक्ष आयोग स्वीकार कर ले, क्योंकि वह अपीलकर्ता है।

किसी भी सभ्य समाज में सुनवाई करने वाले संगठन, अभिकरण, पीठ अपने कार्य में प्रत्यक्ष या अप्रतक्ष्य बाधा, हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करेगा। यदि कोई किसी आदेश से क्षुब्ध होता है तो उसके पास अन्य न्यायिक फोरम पर जाकर अनुतोष पाने का अधिकार है। किन्तु उसके द्वारा अर्मयादित भाषाओं का प्रयोग करके अपने पक्ष में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 व उ0प्र0 सूचना का अधिकार नियमावली 2015 के विपरीत निर्णय कराये जाने का प्रयास नहीं किया जा सकता है।

अतः आवेदक श्री दीपक शुक्ला द्वारा आयोग व पीठासीन अधिकारी व उनके अधीनस्थ कार्मिक के विरूद्ध लगातार अनर्गल आरोप व अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग करने, आयोग के कार्यों में अनावश्यक बाधा उत्पन्न करने तथा आयोग परिसर में ही जनसूचनाधिकारी के साथ मार–पीट करने के कम में श्री दीपक शुक्ला, 145 सी/1, चांदपुर सलोरी, पोस्ट–तेलियरगंज, जनपद प्रयागराज को उ0प्र0 सूचना आयोग में अयोग्य घोषित किया जाता है।

साथ ही विश्वविद्यालयों के समस्त जनसूचनाधिकारीयों को निर्देशित किया जाता है कि वह अपने कार्यालय/वेबसाइट पर उक्त आदेश को प्रदर्शित कराया जाना सुनिश्चित करें।

साथ ही रजिस्ट्रार, उ0प्र0 सूचना आयोग को आदेशित किया जाता है कि उक्त आदेश की एक प्रति श्री दीपक शुक्ला के द्वारा प्रस्तुत समस्त अपीलों/शिकायतों पर रक्षित करते हुए अग्रिम कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

(अजय कुमार उप्रेती)
राज्य सूचना आयुक्त
17.07.2023

अंकीश